## आवश्यकता:

1. औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत भाग लेने वाले अभ्यार्थियों को निःशक्त-जन अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सक्षम अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. जन्म प्रमाण-पत्र ।
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. व्यावसायिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र जोकि व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र के द्वारा प्रदत्त किया गया हो ।
5. अभ्यार्थी का छाया चित्र (फोटो)

## परिवेश:

संस्थागत परिवेश में तकनीकि शिक्षा को निःशुल्क जनों में प्रसार हेतु वांछित भवन निर्माण (आर्कीटेक्चरल) सबंधी व्यावसायिक, वैधानिक व्यक्तिगत एवं शैक्षिक बाधाओं से मुक्त बनाया जायेगा।

वास्तु-सुधार के अन्तर्गत लम्बे रैम्प तथा साइड रैलिंग का निर्माण किया जावेगा। यथा आवश्यक सीढ़ियों, प्रसाधन एवं शौचालयों, संकरे-दरवाजों एवं रास्तों को परिवर्धित किया जावेगा।

## छात्रवृत्ति एवं अन्य वित्तीय सहायता:

परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण लेने वाले सभी अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य निर्धारित वित्तीय सहायताऐं भी संस्था द्वारा प्रदान की जावेगी।

| | | |
|---|---|---|
| छात्रवृत्ति | - | रू. 250 /- प्रतिमाह |
| मुफ्त भोजन | - | रू. 1000 /- प्रतिमाह |
| पुस्तक एवं स्टेशनरी भत्ता | - | रू. 3000 /- प्रति वर्ष अथवा<br>रू. 400 /- प्रतिमाह |

रोजगार प्रशिक्षुओं को मानदेय राशि का भुगतान परियोजना की गाइड लाइन के प्रावधानानुसार किया जावेगा।

संस्था में इस परियोजना के लिए प्रथकतः प्रकोष्ठ गठित किया गया है। जिसमें आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है।

## सम्पर्क:

| | | |
|---|---|---|
| 1. डॉ. ए. ए. सिद्दीकी, | प्राचार्य एवं प्रमुख समन्वयक | ऑफिस फोन नं. -- 07512400800 |
| 2. कु. पूनम यादव, | प्रोजेक्ट चैम्पियन | |
| 3. श्रीमती रेनू कुरेचिया, | परियोजना सहायक | |
| 4. श्री बी. एस. तरेटिया, | लेखापाल | |

-: परियोजना प्रवर्तक संस्था :-

# शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय ग्वालियर

महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग, पड़ाव, ग्वालियर-474 002 (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स: 0751-2400800

## सूचना-पत्र

## निःशक्त-जनों (विकलांग) को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की केन्द्र प्रवर्तित परियोजना

प्रवर्तक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन

# शारीरिक नि:शक्त-जनों (विकलांगों) को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिये पोलीटेक्निक उन्नयन की केन्द्र प्रवर्तित परियोजना

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश संख्या एफ-18-25/टी. एस.-4, शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक 22 मार्च 2001 के द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में शासकीय महिला पोलीटेक्निक, ग्वालियर को शामिल किया गया।)

## परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की अपेक्षाओं के अनुरूप केन्द्र शासन ने शीर्षकांकित परियोजना प्रारंभ की है। यह परियोजना वर्तमान में सम्पूर्ण भारत के चुनिंदा 50 पोलीटेक्निकों मे प्रवर्तित की जा रही है।

यह परियोजना मध्यप्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पोलीटेक्निक भोपाल तथा जबलपुर पोलीटेक्निकों (कला निकेतन) जबलपुर के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की महिला पोलीटेक्निकों में से एक मात्र ग्वालियर स्थित **शासकीय महिला पोलीटेक्निक में ही सत्र 2001-2002 से क्रियान्वित हो रही है।** इसका प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकलांगों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र मे उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी की महिला एवं पुरूष दोनों वर्गों के नि:शक्त व्यक्ति लाभान्वित होगे। चयनित व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा के नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा व्यावसायिक एवं कौशल विकास के अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिये जावेगें। इन्हें छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं संस्था के द्वारा प्रदत्त की जावेगी।

## उद्देश्य:

1. क्षेत्रीय नि:शक्तजनों (शारीरिक विकलांगों) की पहचान कर उन्हें विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।
2. नि:शक्तजनों की उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक एवं कौशल विकास के रोजगारपरक प्रशिक्षण आयोजित करना जिससे उन्हें रोजगार उपलब्धि अथवा स्वरोजगार स्थापना के अवसर प्राप्त हो सकें।
3. प्रशिक्षण प्राप्त नि:शक्त जनों को स्वरोजगार स्थापना में मार्गदर्शन करना तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
4. नि:शक्तजनों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी प्रकार के बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना।

## कार्यक्रम:

संस्था में इस परियोजना के अन्तर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जावेगे।

## औपचारिक कार्यक्रम:

संस्था में संचालित सभी नियमित पाठ्यक्रमों मे नि:शक्तजनों के लिये 20 आरक्षित स्थान उपलब्ध रहेंगे। यह स्थान संस्था के सामान्य रूप से उपलब्ध प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होगे तथापि परियोजना के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर प्रवेश शासन के नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये स्वीकृत रियायतों के समान ही दिये जावेगा।

संस्था में नि:शक्तजनों के लिये विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध स्थान निम्नानुसार होगें :-

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | स्थान | अर्हतायें |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ब्यूटी-कल्चर एवं कास्मेटोलॉजी | 2 वर्ष | 02 | (10+2) इंटरमीडियेट |
| 2. | कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग | 3 वर्ष | 05 | 10 वीं हाई स्कूल |
| 3. | इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी (आई.टी.) | 3 वर्ष | 05 | 10 वीं हाई स्कूल |
| 4. | इन्टीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन | 3 वर्ष | 01 | 10 वीं हाई स्कूल |
| 5. | मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट | 3 वर्ष | 05 | (10+2) इंटरमीडियेट |
| 6. | टेक्सटाइल डिजाइन | 3 वर्ष | 02 | 10 वीं हाई स्कूल |
| | | कुल स्थान | 20 | |

इन पाठ्यक्रमों में सत्र 2002-2003 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिसके लिये मई/जून 2002 में संस्था मे नियमित प्रवेश प्रक्रिया के समय शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## अनौपचारिक कार्यक्रम:

क्षेत्रीय नि:शक्तजनों के आवश्यकता विश्लेषण अध्ययन पर 3 माह से 6 माह की अल्प अवधि में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित किये जावेगे। इन में लगभग 100 अभ्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जा सकेगा। इन प्रशिक्षणों के लिए शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं है तथापि इनमें चयन काउंसलिंग के आधार पर किया जावेगा। संस्था ने वर्तमान में क्षेत्रीय रोजगार एवं संशाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित पाठ्यक्रम को चिन्हित किया है।

1. डेटा एन्ट्री ऑपरेटर
2. डेस्क टॉप पब्लिकेशन
3. इंटरनेट/साइबर कैफे
4. एम.एस. ऑफिस
5. ऑटोकैड
6. मल्टीमीडिया
7. सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस
8. कास्मेटोलोजी
9. टाइपराइटिंग (हिन्दी/अंग्रेजी)
10. स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी)
11. बुक बाइंडिंग एवं रिप्रोग्राफी
12. जरी वर्क
13. स्क्रीन प्रिन्टिंग
14. सापट टायज एवं डालमेकिंग
15. फेब्रिक पेंटिंग
16. मूर्ति कला
17. इन्टीरियर डेकोरेशन
18. गारमेंट मेकिंग
19. फैशन डिजाइनिंग
20. ऑटोकैड (टेक्सटाइल)
21. फोटोग्राफी
22. ब्यूटीकल्चर एण्ड हेयरड्रेसिंग
23. एम्ब्राइडरी
24. कटिंग एण्ड स्टिचिंग।

**विशेष:** अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुरुष तथा स्त्री दोनों वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं।